

क्रमांक वि.स./लेखा/2022

भोपाल दिनांक 11.01.2022

:: आदेश ::

मान. अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अपने स्वेच्छानुदान निधि से निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि सहायता अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

क्र.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	प्रयोजन	राशि रूपये
1	श्री नियाज खान पिता इमाम अहमद खान	194/31 तरहटी मस्जिद के पास हुजूर, रीवा	आर्थिक सहायता	10000
2	श्री राजेन्द्र तिवारी पिता मनकमना तिवारी	कैलाशपुरी अनंतपुर हुजूर, रीवा	आर्थिक सहायता	10000
3	श्री रविकांत तिवारी पिता श्री रमाकांत तिवारी	71 चुरहटा वार्ड, चुरहट चौराहा, रीवा	आर्थिक सहायता	10000
4	श्री शिशिर दीक्षित पिता श्री उमेश दीक्षित	2/600, कीतिकांति प्रेस के पास, पुष्पराजनगर, रीवा	आर्थिक सहायता	10000
5	श्री शिवांश शुक्ला पिता प्रदीप कुमार शुक्ला	वार्ड 3, शिवमंदिर के पास, पडरा जिला रीवा	आर्थिक सहायता	20000
6	स्वाती शुक्ला पिता श्री रमाकांत मिश्रा	बी-5 मनोरमा इन्क्लेव नेहरू नगर कमला नगर थाने के पीछे, भोपाल	आर्थिक सहायता	25000
7	श्री मोहम्मद हफीज पिता श्री रहमत कस	पुरवा मउगंज जिला रीवा	आर्थिक सहायता	10000
8	श्री अश्वनी सिंह पिता श्री यादवेन्द्र सिंह	127 वार्ड नं. 3 सिंह कालोनी पडरा पो0 ए.जी.कालेज, रीवा	आर्थिक सहायता	10000
9	श्री संदीप विश्वकर्मा पिता श्री गया प्रसाद विश्वकर्मा	दुर्गा मंदिर के पास, सिंधी कैंप जिला रीवा	आर्थिक सहायता	15000
योग रूपये				120000

राशि रूपये एक लाख बीस हजार मात्र ।

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मांग संख्या -28, मुख्य लेखा शीर्ष -
2011- राज्य विधान मंडल -02, राज्य संघ/राज्य क्षेत्र विधान मंडल-101, विधान सभा-
4007 विधान सभा-42 (007) आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान के अंतर्गत विकलनीय
होगा।

55

(रमेश चन्द्र रूपला)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा